न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र०सं० – 153/2024

उनवान : –

1. कोरसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी तहसील भादरा।
2. लालचंद पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।
3. दलवीर पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।
4. मीरा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।
5. शीलो पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।
6. रामी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीवड़ी त० भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 13.11.24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 2/63 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी कौरसिंह द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 2/63 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 2/63 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 एवं 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होना राजीनामा में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 2/63 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर वादी कोरसिंह प्रतिवादी सं0 2 लालचंद व प्रतिवादी सं0 3 दलबीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(जिला हनुमानगढ़) हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...ायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

...0न0 – 153 / 2024

...नवान : –

1. कोरसिंह पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र सोहनलाल जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी तहसील भादरा।
2. लालचंद पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
3. दलवीर पुत्र रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
4. मीरा पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
5. शीलो पुत्री रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
6. रामी पत्नी रामकुमार जाति मेघवाल निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एसडीआर के खाता सं0 2/63 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 रामकुमार का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर वादी. कोरसिंह प्रतिवादी सं0 2 लालचंद व प्रतिवादी सं0 3 दलबीर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:02:59 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner